**रुग्ण उद्योगों का पुनरुज्जीवित किया जाना**

2056. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के सम्बन्ध में क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) कितने रुग्ण उद्योगों को राज्यवार पुनरुज्जीवित किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सभी रुग्ण उद्योगों को पुनरुज्जीवित करना सम्भव नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जहां सभी रुग्ण औद्योगिक एकक को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय संस्थानों को प्रस्ताव प्राप्त होता है तो इस बात का निर्धारण करने के लिए कि यह एक जीव्य है और विभिन्न वित्तीय उपायों द्वारा इसे पुनरुज्जीवित किया जा सकता है, इसकी जांच की जाती है। रुग्ण औद्योगिक एकक की जीव्यता स्थापित हो जाने पर इसके पुनरुज्जीवित का कार्य हाथ में लिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें उन मानदंडों को बताया गया है जिसके अधीन बैंक बड़े और लघु क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक को लिखे बिना संभावित जीव्य रुग्ण एककों की पुनः स्थापना के लिए राहतें और रियायतें दे सकते हैं। निर्धारित मानदण्डों से ज्यादा राहतें/रियायतें देने के अधिकार को दिसम्बर, 1990 से बैंकों को प्रत्यायोजित किया गया है ताकि बिना देरी किए संभावित जीव्य एककों के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार किए जा सकें।

(ख) जिन एककों को रुग्ण अथवा कमजोर एकक माना गया है उन सभी एककों के जीव्यता अध्ययन वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा किए जाते हैं। गैर-लघु क्षेत्र में 2337 रुग्ण/कमजोर एककों में से 941 एककों को संभावित रूप जीव्य और 974 एककों को अजीव पाया गया था। 422 एककों के संबंध में जीव्यता का अभी निर्णय किया जाना है। गैर-लघु क्षेत्र में 941 संभावित जीव्य एककों में से मार्च, 1991 के अन्त तक 578 एककों को उपचार कार्यक्रमों के अधीन रखा गया था।

लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों के संबंध में 221472 एककों में से 16140 एककों को संभावित रूप से जीव्य और 202998 एककों को अजीव्य पाया गया था। 2334 एककों की जीव्यता का निर्णय नहीं किया गया है। लघु-क्षेत्र में 16140 संभावित रूप से जीव्य एककों में से मार्च, 1991 के अंत तक 13224 एककों को उपचार कार्यक्रमों के अधीन रखा गया था।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, पता लगाए गए सभी रुग्ण एककों के जीव्यता अध्ययन वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा किए जाते हैं। जिन एककों को बड़ी वाणिज्यिक मान्यताओं के आधार पर जीव्य पाया जाता है, उन्हें पुनरुज्जीवित करने के बारे में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा विचार किया जाता है। जिन एककों को अजीव्य समझा जाता है उनके बारे में बैंक और वित्तीय संस्थान सामान्यतः बकाया राशि की वसूली के लिए प्रथमतः नोटिस जारी करते हैं। अजीव्य एककों से बकाया राशि की वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में मुकदमें दायर करना, स्टाक की बिक्री, बिक्री की आय का विनियोजन करना, एक बार में समाधान के लिए समझौता प्रस्ताव करना इत्यादि शामिल हैं।

**लघु पैमाने के उद्योगों की योजना के तहत ऋण**

2057. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अधीन लघु पैमाने के उद्योगों द्वारा 1991-92 के दौरान अपना व्यापार चलाने के लिए